न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 23/2018

भुवनेश्वर उपाध्याय एवं अन्य बनाम गाजी कुँवर

आदेश

14.5.20

यह वाद अंचल अधिकारी, करगहर द्वारा संधारित विविध वाद सं0 131/17–18 में वर्णित प्रतिवेदन के मद्देनजर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,सासाराम के पत्रांक 542 ,दिनांक 09.06.2018 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जमाबंदी रद्दीकरण वाद प्रारंभ किया गया है , प्रश्नगत भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
रामपुर/394	34	1529	0.37½ ए0

अंचल अधिकारी करगहर के विविध वाद सं0 – 131/17–18 में आवेदक भुवनेश्वर उपाध्याय, दिनेश्वर उपाध्याय वो विश्वजीत उपाध्याय ग्राम – रकसिया का कथन है कि विषयगत खाता – खेसरा के खतियानी वो जमाबंदी रैयत जगदीश उपाध्याय वो ललन उपाध्याय वो उमाकान्त उपाध्याय तीनों वल्दान स्व0 वशीष्ठ उपाध्याय एक अंश समान एवं दशरथ उपाध्याय पिता – केदारनाथ उपाध्याय एक अंश सभी निवासी ग्राम – रकसिया थाना – अगरेर, जिला – रोहतास के है। जिनमें केदारनाथ उपाध्याय वो दशरथ उपाध्याय का स्वर्गवास काफी अरसा पूर्व में हो चुका है।

आवेदकगण के पिता दशरथ उपाध्याय तथा जगदीश उपाध्याय वो ललन उपाध्याय वो उमाकांत उपाध्याय तीनों पिता – स्व0 वशिष्ठ उपाध्याय के दरम्यान कुल रकबा 0.75 ए0 का आपस में बटॅवारा काफी अरसा पूर्व हो चुका था और बटॅवारा से आवेदकगण के पिता को आधा हिस्सा 0.37½ ए0 उक्त प्लौट में पश्चिम में मिला है और आवेदकगण के पिता के वारिसान होने के कारण 0.37½ डि0 भूमि पर काबिज दाखिल चले आ रहे है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह भी अंकित किया है कि आरा–सासाराम बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन से संबंधी जिला गजट प्रकाशन से ज्ञात हुआ कि विषयगत प्लॉट के पूरब का भाग अर्थात उपरोक्त ललन उपाध्याय वो उमाकान्त उपाध्याय का 0.37½ डी भूमि में से 23 डी0 भूमि उक्त रेललाईन निर्माण हेतु अर्जित कर लिया गया जिसका भू–अर्जल केश नं0 – 74 सन् 1999–2000 है। उक्त भू–अर्जन केश की कार्रवाई वो तत्संबंधी कागजात से स्वतः सिद्व है कि उक्त विषयगत 75 डी0 भूमि में आधा 0.37½ डी0 पश्चिम की भूमि हम आवेदकगण की है वो 0.37½ डी0 पूरब उक्त ललन उपाध्याय वो उमाकान्त उपाध्याय की रही है।

आवेदक का यह भी कहना है कि विषयगत भूमि उनकी पैतृक जायदाद है जिसमें न तो उनके द्वारा और न ही उनके पूर्वज द्वारा किसी प्रकार का किसी के पक्ष मे कोई अन्तरण किये है वो न इसका कोई मौका आया । आज तक आवेदकगण अपने विषयगत भूमि पर अपना पूर्ण हक वो अधिकार के साथ दाखिल काबिज है। अतएव आवेदक द्वारा लगान रसीद कटाने हेतु आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी से जॉच कराया गया, राजस्व कर्मचारी द्वारा जॉच किया गया है, जॉच प्रतिवेदनानुसार पंजी – 2 में बिना किसी वाद सं0 अंकित किये बगैर रैयत जगदीश उपाध्याय वगै0 का नाम घेरकर मु0 गजी कुंवर पति – भोला सिंह रकबा 0.65 ए0 के बदले 0.39ए0 कर दिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा मु0 गाजी कुंवर पति – भोला सिंह पर नोटिस निर्गत किया गया परन्तु मु0 गाजी कुंवर उपस्थित नही हुई न ही उनका पता चल रहा है। अतएव आवेदक के आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी करगहर , भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण करने हेतु अनुशंसा किया गया ।

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद में इस कार्यालय के पत्रांक 874/रा0, दिनांक 31.07.2019 से जिला भू–अर्जन

पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा पत्रांक 586/जि0भ0अ0, दिनांक 04.10.2019 से प्रतिवेदित किया कि मौजा – रामपुर, थाना नं0 394 की जॉच की गई। जॉच के कम में पाया गया कि खाता सं0 – 34, खेसरा सं0 – 1529 में ललन उपाध्याय पिता – वशिष्ठ उपाध्याय के नाम से 0.10 ए0 भूमि एवं उमाकान्त उपाध्याय पिता – वशिष्ठ उपाध्याय के नाम से 0.13 ए0 भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इन्हें भुगतान भी किया गया है।

वाद के विचारण के कम में विविध वाद सं0 – 131/17–18 के आवेदक एवं विपक्षी को सूचना निर्गत की गई। विपक्षी कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

आवेदक श्री भुवनेश्वर उपाध्याय द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल सभी दस्तावेजी साक्ष्य, अंचल अधिकारी, करगहर के प्रतिवदेन एवं भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास,सासाराम के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत जमाबंदी का मु0 गाजी कुंवर, पति – भोला सिंह के नाम से बिना किसी सक्षम आदेश उदृत कर सुधार करना विधि सम्मत नहीं है।

अतः प्रश्नगत जमाबंदी मौजा रामपुर थाना नं0 394 खाता सं0 34 खेसरा सं0 1529 रकबा 0.65 डी0 से मु0 गाजी कुंअर का नाम विलोपित कर मूल रूप से कायम करने का आदेश दिया जाता है।

सभी संबंधित को दिखला दी जाए।

उक्त आदेश की प्रति के साथ अंचल अधिकारी करगहर एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह0) 14.3.20
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

(ह0) 14/3/20
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक – 81/रा0, दिनांक – 31/3/2020

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी करगहर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 (NIC) रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ह0)
अपर समाहर्ता
रोहतास, सासाराम।